

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कुम्भलगढ़

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता बुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जनावद व मू.अ.दि. जनावद व रिपोर्ट तथा तहसीलदार कुमलगढ़/गढ़बोर की अनुशांथा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 195 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जनावद तहसील गढ़बोर व जिला राजसमन्द में जनानन्दी राज्य 2012-2015 में खाता संख्या 09 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्राविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज क जानी है)
1	जनावद	09	अमरा	अमृतलाल



कुम्भलगढ़ अधिकारी
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुमलगढ़ (राज.)

क्रमांक :- 4/2019 प्रा.प धारा 136

दिनांक - 27/11/19

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार कुमलगढ़/गढ़बोर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री अमृतलाल/रतनलाल, जनावद को सूचनाये।
3. रक्षित पत्रायली।

कुम्भलगढ़ अधिकारी
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
सहायक कलक्टर
जिला- कुम्भलगढ़ (राज.)
(एस.डी.ओ.) कुमलगढ़